राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साइटः– www.lsgraj.org

क्रमांकः एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/14/स्व. भा. अभि./22215 दिनांक : 15/11/17

आयुक्त, नगर निगम समस्त

आयुक्त, नगर परिषद समस्त

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषयः– राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगरीय क्षेत्रों में ''स्वच्छ भारत मिशन'' के अन्तर्गत दिनांक 8 दिसम्बर से 13 दिसम्बर, 2017 की अवधि में स्वच्छता अभियान सप्ताह (Cleanliness Campaign Week) के संबंध में।

राज्य के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी सफाई व्यवस्था करने के लिये 8 से 13 दिसम्बर, 2017 की अवधि में **स्वच्छता अभियान सप्ताह (Cleanliness Campaign Week)** प्रारम्भ करने के निर्देश प्राप्त हुये है।

इस **स्वच्छता अभियान सप्ताह (Cleanliness Campaign Week)** के दौरान मुख्य रूप से निम्न कार्य करवाये जावे :–

1. नगर निकाय क्षेत्रों में पडे हुये पुराने कचरे व मलबे को चिन्हित करते हुये उसको साफ करवाया जावें।
2. शहर के Entry Points व मुख्य बाजारों में पड़े हुये कचरे–मलबे के ढेरों को हटाया जावें।
3. सब्जीमण्डी, अनाज भण्डारण केन्द्रों तथा फलमण्डी क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर साफ–सफाई रखी जावें।
4. व्यस्ततम बाजारों व घनी आबादी क्षेत्रों में रात्रि कालीन सफाई एवं कचरा उठाया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा प्रातःकालीन सफाई व्यवस्था नियमित रूप से सुनिश्चित की जावे।
5. आबादी क्षेत्र में एकत्रित कचरे को दो पारियों में हटाया जावे एवं पुनः कचरा आने की स्थिति में मोबाईल टीम गठित कर कचरा हटाया जावे।
6. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रभावी व्यवस्था एवं प्लास्टिक कैरी बैग्स की रोकथाम/जब्त करने की कार्यवाही की जावें।
7. आमजन में स्वच्छता व सफाई के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जावें।
8. स्वच्छता के बारे में समस्त शिक्षण संस्थाओं, राजकीय कार्यालयों, सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर जनजागरण कार्यक्रम आयोजित कर अधिकाधिक संख्या में आम जन की इस कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाई जावें।
9. अभियान अवधि में समस्त सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजो, अस्पताल, डिस्पेंन्सरीज के परिसरों को साफ सुथरा रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जावें।
10. स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्मार्ट राज कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है, जिसका Toll Free Number 18001806127 है। आमजन नगरीय निकायो से सम्बन्धित शिकायते टोल फ्री

नम्बर पर दर्ज करा सकते है। टोल फ्री नम्बर का प्रचार–प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करवावे जिससे जनसमुदाय की शिकायतो का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

11. समाचार–पत्रों व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञप्ति जारी करते हुये घर/दुकानों/प्रतिष्ठानों/रेस्टोरेन्ट्स व ढ़ाबों आदि के सामने कचरा नहीं फैलाने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखे जाने हेतु पाबंद किया जावे। इसके बावजूद भी गंदगी फैलाने वालों के विरूद्ध नोटिस जारी कर शास्ति लगाने की कार्यवाही की जावे।
12. खुले में शौच मुक्ति एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन दोनों ही कार्य आम नागरिकों को जनजागरण के माध्यम से जागरूक किये बिना सम्भव नहीं है। आम नागरिको की जनसहभागिता बढाने एवं जागरूकता बढाये जाने हेतु आई.ई.सी गतिविधियों के तहत् व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
13. राज्य की नगर निकायों में रहने का बेहतर स्थान बनाने की ओर मिलकर बहुसंख्या में जनभागिदारी को बढावा देकर समाज के सभी वर्गो में जागरूकता पैदा करते हुए शहरों को स्वच्छ बनाये जाने की ओर प्रयास किये जाने है। इन प्रयासों से नागरिकों को सेवायें प्रदान करने में सुधार करने एवं शहरों/कस्बों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जागृत करने के उद्देश्य से राज्य की समस्त निकायों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 हेतु सर्वेक्षण की विधि, सर्वेक्षण की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश निकायों को भिजवाये जा चुके है।

14. **स्वच्छता अभियान सप्ताह** के सफल संचालन हेतु माननीय सांसदगण, विधायकगण व स्थानीय जन प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी व गैर सरकारी संगठनों आदि का भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे।

15. नगर निकायों में स्थित सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों की प्रभावी सफाई व मरम्मत का कार्य नगर निगम द्वारा शीघ्र करवाया जावे। शहर में नये सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय (महिलाओं के लिये अलग) बनाने के लिये स्थान चिन्हित करते हुये कार्ययोजना तैयार की जावे। शहरों में विभिन्न स्थानों पर नवीन सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार की जावे। उक्त शौचालयों व मूत्रालयों का सुलभ इंटरनेशनल संस्था या अन्य किसी स्थानीय संस्था, BOOT आधार पर, विज्ञापन अधिकार देते हुये निर्माण व रखरखाव करवाया जा सकता है। टॉयलेट्स में पानी व रोशनी की समुचित व्यवस्था हो।

16. आवारा पशुओं को पकडने का कार्य नगर निकायों के स्तर पर अथवा आउटसोर्स करते हुये करवाया जावे।

17. शहर की साफ सफाई को दुरूस्त रखने व सफाई के प्रति आम जन में जागरूकता लाने के लिये स्थानीय पार्षदों, मौहल्ला/कॉलोनी विकास समितियों (RWAs) तथा इस कार्य से जुड़े एन.जी.ओ. आदि का भी सहयोग लिया जावे।

18. सफाई कार्य के पहले व बाद की स्थिति की फोटोग्राफी की जावे।

19. सम्पूर्ण अभियान अवधि में जिस नगर निकाय का कार्य उत्कृष्ट होगा (निगम स्तर पर, परिषद स्तर पर एवं पालिका स्तर पर) उस नगर निकाय के महापौर/सभापति/अध्यक्ष को राजस्थान दिवस 30 मार्च, 2018 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जावेगा। इसी प्रकार अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं जैसे– रेजिडेन्ट वेलफेयर

ऐसोसिऐशन (RWA)/एनजीओ/सिविल सोसाईटी व गैर सरकारी संगठनों, मौहल्ला विकास समितियों को भी पुरस्कृत किया जायेगा।

इस अभियान के दौरान की गई कार्यवाही का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जावे एवं महत्वपूर्ण गतिविधियॉ, कार्यक्रम व सूचना स्वायत्त शासन विभाग की ई–मेलः dlbrajasthan@gmail.com पर भिजवाना भी सुनिश्चित किया जावें।

मैं आशा करता हूँ कि आप ''स्वच्छ भारत मिशन'' में व्यक्तिगत रूचि लेकर एवं जन प्रतिनिधियों व आम जन की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करते हुये इस **स्वच्छता अभियान सप्ताह** को सफल बनाना सुनिश्चित करेंगे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 22216–22269 दिनांक :– 07/11/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण (समस्त)।
4. निजी सचिव, अतिरक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर समस्त।
12. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
13. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
14. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, समस्त राजस्थान।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता